

8-11-16

अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक

गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

वादी अनु०

वादी की ओर से कोई अधि० उप० नहीं

प्रतिवादी क० १ व २ द्वारा श्री ए० के० राणा एड०

प्रतिवादी क० ३ पूर्व से एकपक्षीय

प्रकरण आज वादी की साक्ष्य हेतु नियत है।

आज दिनांक को वादी एवं उसके अधिवक्ता को न्यायालय कक्ष के बार-बार-बार पुकार लगवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। आज दिनांक को वादी अनु० है। वादी की ओर से उसके पक्ष समर्थन हेतु अधि० भी उप० नहीं है। वादी की अनु० का कोई कारण भी दर्शित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः प्रस्तुत वाद वादी की अनु० में आदेश ०९ नियम ८ के अंतर्गत खारिज किया जाता है।

प्रकरण में व्यय तालिका बनाई जावे।

प्रकरण पंजी से कम होकर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

GRPG-442-Forms-20-11-12-50,000 Forms.

(सचिव अवरथी)

अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक

गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

Order Sheet [Contd]

II-156
C.J.

Case No. 132 A/ of 20 15 ई. वी.

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>(व्यय तालिका)</p> <p>वादीगण प्रतिवादीगण</p> <p>वादपत्र — 640=00 —</p> <p>शपथपत्र एवं आवेदन पत्र — 70=00 05=00</p> <p>अभिभाषण शुल्क — प्रमाणित नहीं — प्रमाणित नहीं</p> <p>प्रोसेस कीस — 05=00 —</p> <p>अभिभाषण पत्र — 10=00 — 10=00</p> <p>कुल योग 725=00 15=00</p> <p>(प्रतिष्ठा अवस्थी)</p> <p>अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक</p> <p>गोहद जिला मण्ड (म.प्र.)</p>	